न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 463/2010

दिनांक 11.02.2021

उनवान

पेमा पिता कालु गाडरी आयु 35 साल निवासी वानसेन तह0 भदेसर

.....वादी

।। बनाम ।।

1. फत्ता पिता नाथु गाडरी आयु 35 साल निवासी वानसेन तह0 भदेसर
2. मु. लेहरी पुत्री भेरा पत्नी देवजी आयु 50 साल निवासी रदाई खेडा त. भदेसर
3. वालु पिता रामचन्द्र गाडरी आयु 70 साल निवासी वानसेन तह0 भदेसर
4. नारू पिता रामचन्द्र गाडरी आयु 75 साल निवासी वानसेन तह0 भदेसर मृतक के वजाय
   4/1 चम्पा पिता नारू आयु 45 साल निवासी वानसेन
   4/2 शंकर पिता नारू आयु 30 साल निवासी वानसेन
   4/3 मु. कमली पुत्री नारू पत्नी नारायण आयु 40 साल निवासी वानसेन हा.मु. लुहारीया
   4/4 मु. धापू वेवा नारू आयु 70 साल नि. वानसेन
5. अशोक कुमार पिता वंशीलाल जाति वोहरा आयु 40 वर्ष निवासी वानसेन
6. कैलाश पिता शंकरलाल शर्मा ब्राम्हण आयु 50 साल नि. वानसेन त. भदेसर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा. भदेसर

..... प्रतिवादीगण

दावा घोषणा व बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित– श्री अनुराग ओझा वकील वादी
श्री सुधीर कुमावत वकील प्रतिवादी
श्री उमेश आगाल वकील प्रतिवादी संख्या 5

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वाके मौजा वानसेन तह0 भदेसर में आराजी न. 181 रकवा 4 बीस्वा लगानी 12 पैसे आ. न. 183 रकवा 1 वीघा 4 बीस्वा लगानी 56 पैसे आराजी न. 189 रकवा 3 बीस्वा

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चितौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

आराजी चाह आ.न. 517/1 रकबा 7 बीस्वा लगानी 38 पैसे ,आ.नं. 519 रकबा 4 बीघा 4 बीस्वा लगानी 13 रूपये 69 पैसे आ. नं. 520 रकबा 9 बीस्वा लगानी 25 पैसे आ.नं. 522 रकबा 3 बीघा लगानी 17 रूपये 31 पैसे स्थित है।

इसी प्रकार ग्राम बानसेन त. भदेसर में आ.नं. 378 रकबा 9 बीघा 19 बीस्वा लगानी 8 रूपये 94 पैसे आ.नं. 451/455 रकबा 3 बीघा 11 बीस्वा लगानी 25 रूपये 31 पैसे आ.नं. 454/455 रकबा 2 बीघा 3 बीस लगानी 11 रूपये 25 पैसे आ.नं. 456 रकबा 1 बीघा 15 बीस्वा लगानी 38 पैसे आ. नं. 457/1 रकबा 6 बीघा 10 बीस्वा लगानी 2 रूपये 69 पैसे आ.नं. 459/1 रकबा 3 बीघा 16 बीस्वा लगानी 1 रूपये 88 पैसे आ.नं. 460/1 रकबा 2 बीस्वा लगानी 6 पैसे आ.नं. 462/2 रकबा 13 बीस्वा लगानी 31 पैसे आ.नं. 473 रकबा 2 बीस्वा लगानी 31 पैसे आ.नं. 474 रकबा 1 बीघा 17 बीस्वा लगानी 11 रूपये 12 पैसे आ. नं. 521 रकबा 2 बीघा 15 बीस्वा लगानी 1 रूपये 37 पैसे आ. नं. 1041/2 रकबा 2 बीघा 1 बीस्वा लगानी 88 पैसे आ.नं. 1047/1 रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा लगानी 88 पैसे आ.नं. 1051/1 रकबा 1 बीघा 5 बीस्वा लगानी 75 पैसे कुल किता 14 कुल रकबा 38 बीघा 7 बीस्वा कुल लगानी 66 रूपये 50 पैसे स्थित है।

उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात भुवाना जी गाडरी के जमाने से चली आ रही है भुवाना जी के दो पुत्र रामा उर्फ रामचन्द्र व कालु हुए 1 रामा उर्फ रामचन्द्र को मरे 50 साल हो गए है और कालूजी को मरे 30 साल हो गए है। रामचन्द्र व कालु के वारीसान निम्न प्रकार है जिनका सजरा इस प्रकार है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned by TapScanner

11/2/2021 पत्रावली पेश। वकील आप पक्ष

2. यह कि उपरोक्त वर्णित विवादित आराजीयात मे रामजी उर्फ रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा व कालु जी का 1/2 हिस्सा होकर शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही है। चुंकि रामचन्द्र जी व कालु जी अनपढ़ थे। उनकी अनपढ़ता का फायदा उठाते हुए राजस्व कर्मचारियों ने गलत इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में कर दिया और प्रतिवादिगण के नाम ज्यादा जमीन दर्ज कर दी जब की उपरोक्त विवादित आराजीयात मे दोनो का बराबर बराबर हिस्सा चला आ रहा है। इस प्रकार कुलिया उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे वादी का 1/2 व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा है।

3. यह कि विवादित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कोई बटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस नही हुआ है। वादी ने प्रतिवादीगण से उपरोक्त विवादित आराजीयात का बटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस कराने हेतु कहा व प्रतिवादीगण को समझाया बुझाया परन्तु प्रतिवादीगण बटवारा कराने से इंकार होकर वादी के बराबर हक हिस्सा होने से इंकार हो गए औश्र वादी को विवादित आराजीवात से जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास किया और समझाने बुझाने पर नहीं मान रहे है इसलिए वादी की यह दावा घोषणा बटवारा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ रहा है।

3ए. यह कि विवादित कृषि भूमि का कोई बंटवाडा वादी और प्रतिवादीगण के बीच में नहीं हुआ है फिर भी अविभाजित भूमि का हस्तान्तरण खुमाणी बेवा भेरा ने कैलाश चन्द्र पिता शंकरलाल शर्मा व अशोक कुमार पिता बंशीलाल बोहरा को हसतान्तरित कर दिया है यह हस्तान्तरण वादी पर बंधक कारक नहीं है ।

4. यह कि वाद कारण दिनांक 10.01.2009 को जब प्रतवादीगण ने विवादित आराजीयात का बटवारा कराने से इंकार कर दिया तथा वादी के हक हिस्से से भी इंकार करने लगे और वादी को जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास किया से उत्पन्न होकर यह वाद अंदर अवधि पेश है।

5. यह कि विवादित अराजीयात ग्राम बानसेन तह0 भदेसर में स्थित है और पक्षकारान मुकदमा भी यही के स्थाई निवासी है इसलिए माननीय न्यायालय आपको इस वाद को सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:51:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

6. यहकि वाद मूल्यांकन इस दावे का एक लाख रूपये कायम किया जाकर यह वाद 3 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है।

7. यहकि इस दावे में आराजीयाते के बटवारे के सहायता भी चाही गई है और भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भदेसर को प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गया है।

8. यहकि वादी का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे–

(क.)– कि यह घोषित किया जावे कि वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है और वादी बराबर 1/2 हिस्सा आने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है।

(ख)– कि वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजीयात वादग्रस्त का बटवारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाइ मिट्स एण्ड बाउन्डस कराया जावे और वादी का 1/2 हिस्सा अलग कराया जावे लगान की फाटनी कराई जावे वादी के अलग से खातेदारी में दर्ज कराई जावे और इसी अनुसार कब्जा भी वादी का कायम रखाया जावे।

(ग)– कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे कि वे वादी को विवादित आराजीयात के जबरन बेदखल नही करे करावे तथा वादी को उपरोक्त आराजीयात का पूर्व व समुचित रूप से उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नही कर ना करावे।

(घ)– कि खर्चा मुकदमा वादी का प्रतिवादीगण से दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादी के हित में न्यायोचित हो दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । वरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 5 अशोक कुमार बोहरा पिता बंशीलाल जी बोहरा, निवासी बानसेन, की ओर से जवाबदावा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया :–

1. यह कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार होकर यह है कि उक्त आराजीयात सामलाती नही होकर पूर्व में विभाजित होकर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है।

2. यह कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

3. वाद पत्र की कॉलम संख्या 3 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।
4. वाद पत्र की कॉलम संख्या 4 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।
5. वाद पत्र की कॉलम संख्या 5 में वर्णित तथ्य कानूनी होकर जवाब की आवश्यकता नहीं है।
6. वाद पत्र की कॉलम संख्या 6 में वर्णित तथ्य कानूनी होकर जवाब की आवश्यकता नहीं है।
7. वाद पत्र की कॉलम संख्या 7 में वर्णित तथ्य कानूनी होकर जवाब की आवश्यकता नहीं है।
8. वाद पत्र की कॉलम संख्या 8 में वर्णित तथ्य मे वादी द्वारा जो अनुतोष चाह गया है वो अनुतोष गलत होने से वादी को ही अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

– विशेष कथन –

1. यह कि वादी ने जो वाद में बटवाड़ा व खातेदारी के अधिकार की मांग की है व वादी की बदनियती है क्योंकि पूर्व में 459/1 उक्त आराजीरात को प्रतिवादी सं. 1 के दादा व प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पिता द्वारा 30/11/1948 को रजिस्टर्ड सेल डील द्वारा क्रय की गई थी।
2. यह है कि वादी के पिता व प्रतिवादी सं. 1 के दादा व 3 व 4 के पिता के बीच में उक्त वाद में वर्णित आराजीयात का बटवाडा 20/5/1952 को आपसी सहमति से हो गया व बटवाडा 07/07/1952 को फैसल हो गया तब से वादी प्रतिवादी उस बंटवाडे के मुताबिक अपने कब्जे व हिस्से अनुसार काबिज है व 60 वर्षो से उस बंटवाडे के आधार पर आराजीयात पर उपयोग उपभोग कर रहे है।
3. यह है कि उक्त बटवाडा राजस्थान राज्य काश्तकारी अधिनियम 1955 के पूर्व हो गया था इसलिए उक्त वाद को खारिज किया जावे।
4. यह है कि उसी बटवाडे के अनुसार प्रतिवादी सं. 4 से मुझ प्रतिवादी सं. 5 को आराजी नं. 459/1 में से 15 बीस्वा जमीन 20/02/2002 को रजिस्टर्ड पंजीयन द्वारा खरीदी।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब प्रतिवादी सं. 5 का स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं. – 01, 03 एवं प्रतिवादी सं. 04 के वारिसान् की ओर से वकील श्री सुधीर कुमार द्वारा निम्न प्रकार पेश है--

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-

Scanned by TapScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि वाद पत्र की चरण सं. 01 का जवाब इस प्रकार है कि इस चरण में अकिंत आराजीयात ग्राम बानसेन त. भदेसर में स्थित होना स्वीकार है जो की खाता सं. 165 में वादी पेमा के नाम पर कुल किता 10 कुल रकबा 15 बीघा 09 बीस्वा आराजी है ।

इसी प्रकार खाता 157 में पेमा पिता कालु वादी व नारायण वगैरा के खाते मे कुल किता 02 कुल रकबा 15 बीघा 02 बीस्वा व वादी का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

इसी प्रकार ग्राम बानसेन की खाता सं. 40 की कुल किता 14 कुल रकबा 38 बीघा 07 बीस्वा प्रतिवादी सं. 01, 03 व 04 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित आराजीयात भुवाना गाडरी के जमाने की नहीं थी , बल्कि इन आराजीयात में आराजी नम्बर 181, 183, 189, 387, 451/453, 456, 471/1, 173, 474, 517/1, 519, 520, 521, 522, 1041/2 कुल किता 16 कुल रकबा 40 बीघा 12 बीस्वा दर्ज रिकार्ड थी तथा भूवाना जी के देहान्त के बाद उनके दोनों पुत्र रामचन्द्र एवं कालु के नाम विरासत से दर्ज हुई तथा दोनों भाईयों ने आपसी रजामंदी एवं बाहमी बटवाडे अनुसार आराजीयात का विधिवत तौर से बटवाडा मोके पर काबिज कब्जे अनुसार अपने जीवन काल में दिनांक 20.05.1952 को तहसील कार्यालय भदेसर उपतहसील भादसौडा में आवेदन देकर करवाया जिसके अनुसार आ. नं. 378, 451/453, 454/455, 456, 471/1, 473, 474, 521, 1041/2 कुल किता 09 कुल रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 01, 03 व 04 के पिता रामचन्द्र जी के हक हिस्से मे रखी गई थी एवं वादी के पिता कालु जी के हिस्से में आ. नं. 519, 520, 522, 517/1, 181, 183, 189 कुल किता 07 कुल रकबा 09 बीघा 19 बीस्वा अढाण सिंचित आराजीयात कालुजी के हिस्से में रखी गई तथा उपरोक्त आराजीयात रामचन्द्र जी एवं कालुजी दोनों के मध्य आपसी सहमति से बटवाडा रजामंदी से तथा मोके काबिज अनुसार हुआ । जिसमें कालु जी अपनी स्वेच्छा एवं सहमति से तहसील में बटवाडा हेतु मिशल पेश कर बटवाडा करवाया तथा दोनों भाई मोके पर काबिज होकर अपना अपना लगान अदा कर रहे थे, तथा रजामंद होने से उक्त खाता आपसी सहमति से रद्दोबदल किया गया, जिसका नामांतकरण सं. 19 खोला गया। जिस पर दोनों के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी कराई गयी तथा इसके बाद रामचंद्र एवं कालु जी का खाता सं. 04 व 05 अलग अलग हो गये, जो दिनांक 24.07.1952 को उसका अमल दरामद उपरोक्त अनुसार अलग अलग खाते में किया गया तब से ही दोनों भाई अपने अपने हिस्से की खाता अनुसार आराजी पर निरंतर बिना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by TapScanner

किसी बाधा के काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है तथा उनके देहान्त के बाद वादी तथा प्रतिवादीगण के विरासत से आराजी अलग अलग खातेदारी दर्ज हुई यह उक्त बटवाडा सेटलमेंट से पूर्व हुआ जो कि दोनों भाइयों की आपसी रजामंदी से हुआ जिस पर किसी को कोई आपत्ति नही थी। उपरोक्त बटवाडा होने के बाद कालु 32 वर्ष तक वादी के दावा अनुसार एवं कालु जी की मृत्यु फरवरी 1984 में होने से जिवित रहे, तथा कालुजी ने उनके जीवन काल में कभी भी उक्त बटवाडे के चैलेन्ज नहीं किया तथा सहमति के बटवाडे अनुसार दोनों भाई काबिज होकर काश्त चले आ रहे थे, तथा न ही उनको अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति थी तथा वादी अपने पिता कालुजी के साथ फरवरी 1984 में कालु जी के देहान्त तक काबिज रहा तथा कालु जी के देहान्त के बाद आज भी वादी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज चला आ रहा है। शेष कथन वादी ने अपने वाद पत्र की चरण सं. 1 में गलत दर्ज किये है। जो स्वीकार नहीं है।

2. यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या–02 भाग पर कभी भी नही रहा है और न ही आज है न ही वादी का कब्जा खाता संख्या –156 व 157 की आराजीयात कुल रकबा–23 बीघा पर चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त 23 बीघा भूमि पर कभी कोई आपत्ति नहीं की । वादी खातेदार काश्तकार होकर खाता संख्या –40 की तहती आराजीयात कुल किता–14 कुल रकबा–38 बीघा 07 बिस्वा पर काश्त करते चले आ रहे थें, जिसमें से 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या–05 व 06 को विक्रय कर दी तथा शेष भूमि 37 बीघा 10 बीस्वा पर प्रतिवादी संख्या–01, 03 व 04 शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

3. यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या–03 का जवाब इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता जी के मध्य बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर एवं राजस्व अभिलेखों में बटवाड़ा दिनांक–25–07–1952 को आपसी सहमती से हो चुका है एवं उसी अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है, इसलिए वादी को बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है वादी ने उक्त दावा घोषणा,बटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का गलत पेश किया है क्योकि वादी का खाता ही सन्–1952 से अलग है।

4. यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 3 (ए) का जवाब इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता जी के मध्य बटवाडा सन्–1952 में हो चुका है एवं उसी समय खाते अलग–अलग हो गये थे और खाते अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हक हिस्से अनुसार काबिज चले

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–

Scanned by TapScanner

आ रहे है प्रतिवादीगण के द्वारा भूमि का विक्रय अपनी खातेदारी मे होने से कानूनी रूप से वैध्य है।

5. यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 04 का जवाब इस प्रकार है कि दिनांक–10–01–2009 को प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई वाद कारण पैदा नही होता है क्यो कि वादी एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग अपनी खातेदारी के अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है, इसलिये वादी को बेदखल करने का तथ्य सरसर गलत है। वाद वादी बैरून मियाद पेश है।

6. यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या–05, 06 व 07 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है।

7. यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 08 का जवाब इस प्रकार है कि चरण में वर्णित क, ख, ग व घ में वर्णित अनुतोष वादी माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

–: विशेष कथनः–

1. यह कि प्रतिवादी संख्या– 01, 03 व 04 के पिता स्व0 रामचन्द्र पिता भुवाना गाडरी ने आराजी संख्या–1047/1 रकबा--01 बीघा 14 बिस्वा, आ.नं.–462/1 रकबा–13 बिस्वा, आ. नं.–460/1 रकबा–07 बिस्वा, आ.नं.–459/1 रकबा–03 बीघा 16 बिस्वा, आ.नं.–1051/1 रकबा–01 बीघा 04 बिस्वा कुल किता–05 कुल रकबा–07 बीघा 14 बिस्वा आराजी ठिकाना कुराबड़ से सन्–1943 सवत्–2003 मिसल नं.–24/3 को 101/– रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से क्रय की गई तथा वादी द्वारा उक्त आराजीयात भी वाद–पत्र में शामिल की गई है, जो कि गलत की गई है, क्योकि उपरोक्त 07 बीघा 14 बिस्वा आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता रामचन्द्र जी क्रयशुदा आराजीयात है। इस कारण वादी का वादा चलने योग्य नही है।
2. यह खाता सं.– 40 की तहती आराजीयात कुल किता– 14 कुल रकबा–38 बीघा 07 बीस्वा प्रतिवादीगण के खातेदारी सन्–1952 से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है, तथा प्रतिवादीगण 63 वर्षो से लगातार खातेदार होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए दावा हाजा मियाद बाहर पेश है।
3. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता रामचन्द्र जी एवं कालु जी के मध्य आपसी सहमती से बटवाड़ा दिनांक–20–05–1952 को किया जो कि दिनांक–07–07–1952 को आपसी रजामन्दी से एवं मौके पर काबिज अनुसार बटवाड़ा फैसल किया गया एवं रिकार्ड में

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by TapScanner

खाता सं.–04 व 05 के रूप में अमल दरामद किया गया व से वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज चले आ रहे है, तथा बटवाड़ा होने के बाद वादी के पिता जी कालुजी 32 वर्ष तक काबिज रहे एवं सन्–1984 में उनका देहान्त हुआ तथा उनके जीवनकाल में उन्होंने कभी भी उक्त बटवाड़े को चेलेन्ज नहीं किया तथा बटवाड़ा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व हो गया तथा नामान्तकरण भी उसी वक्त खुल गया था यह सारे तथ्य वादी की जानकारी में है। क्योंकि वादी उसके पिता जी के देहान्त के समय 33 वर्ष का था वादी ने इस सारे तथ्यो को छुपा कर गलत वाद कारण अंकित कर मियाद बाहर गलत दावा पेश किया है जो कि बटवाडा आपसी सहमती से पूर्व में दिनांक– 25.07.1952 को होने के कारण दावा चलने योग्य नही है। तथा क्षेत्राधिकार से बाहर है।

4. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से उक्त वाद जानबुझकर गलत पेश किया है जो कि आदेश 07 नियम 11 के तहत् वाद वादी निरस्त होने योग्य है, तथा प्रतिवादीगण वादी से विशेष हर्जाने के 20,000/–रू0 प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की की गई :–

तनकी नं. 1. – आया वादी यह घोषित कराने का अधिकार है कि वाद–पत्र कि मद सं. 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा और वादी बराबर 1/2 हिस्सा स्वयं कि खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है।

– जिम्मे वादी

तनकी नं. 2. – आया वाद पत्र कि चरण सं. 1 में वर्णित आराजीयात का बटवाडा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा अलग कराया करवाया जावे खातेदारी में दर्ज कब्जा लगान कि फाटनी कि जावे।

– जिम्मे वादी

तनकी नं. 3. – आया प्रातिवादीगण वादी के हिस्से में किसी भी प्रकार का दखल नहीं कर शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज रहकर काश्त करवा दे इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित वादी करवाने का अधिकारी है ।

– जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:51:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned by TapScanner

तनकी नं. 4. — आया वादी का मियाद बाहर है।

— जिम्मे प्रति क. 1, 3 व 4

तनकी नं. 5. — आया विवाद आराजीयात का पूर्व में बटवाडा होने से वाद चलने योग्य नही होकर क्षैत्राधिकार से बाहर है।

— जिम्मे प्रति क. 1, 3 व 4

वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :—

1. नकल जमाबन्दी मौजा बानसेन खाता संख्या 156 संवत् 2057—2060 प्रदर्श—1
2. नकल जमाबन्दी मौजा बानसेन खाता संख्या 40 संवत् 2057—2060 प्रदर्श—2
3. जमाबन्दी बन्दोबस्त संवत् 1912 मौजा बानसेन ठिकाना कुराबड प्रदर्श—3
4. बयान श0प0 आदेश 18 नियम 4 श्री पेगा वादी पी0डब्लू 1
5. बयान श0प0 आदेश 18 नियम 4 श्री राजूदास पिता उंकारदास वैरागी पी0डब्लू 2
6. बयान श0प0 आदेश 18 नियम 4 श्री चुन्नीलाल पिता प्रताप जटिया नि0 बानसेन
7. बयान श0प0 आदेश 18 नियम 4 श्री उदा पिता लालू जटिया नि0 बानसेन
8. बयान श0प0 आदेश 18 नियम 4 श्री भेरूलाल पिता जीतमल प्रजापत नि0 बानसेन
9. बयान श0प0 आदेश 18 नियम 4 श्री पेमा पिता लक्ष्मण गाडरी नि0 दौलतपुरा उर्फ झामरखेडी तहसील भदेसर

प्रतिवादीगण की ओर से से जवाबदावा के समर्थन में निम्नांकित दस्तोवजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :—

1. नकल जमाबन्दी मौजा बानसेन खाता संख्या 40 आंशिक संवत् 2057—2060 प्रदर्श—ए1
2. नकल जमाबन्दी मौजा बानसेन खाता संख्या 40 संवत् 2057—2060 प्रदर्श—ए2
3. नकल नामान्तरकरण ग्राम बानसेन दिनांक 25.07.1952 प्रदर्श—ए3
4. नकल नामान्तरकरण ग्राम बानसेन ना0क0 संया 692 प्रदर्श—ए4
5. नकल जमाबंदी मौजा बानसेन खाता सं. 94 सवंत 2013 से 2016 प्रदर्श—ए5

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Scanned by TapScanner

नकल जमाबन्दी ... अपील उपखण्ड ...

6. नकल खसरा गिरदावरी ग्रान बानसेन सवंत 2065– 2067 प्रदर्श ए–6
7. नकल जमाबन्दी मौजा बानसेन खाता संख्या 100 संवत् 2013–2016 प्रदर्श–ए7
8. नकल खसरा गिरदावरी ग्रान बानसेन सवंत 2065 प्रदर्श ए–8
9. नकल खसरा गिरदावरी ग्रान बानसेन सवंत 2065 प्रदर्श ए–9
10. ठिकाना कुराबड में पंजीकृत कराये गये दस्तावेज मुल प्रदर्श ए–10
11. ठिकाना कुराबड में पंजीकृत कराये गये दस्तावेज मुल प्रदर्श ए–11
12. बही में लिखा पढी की फोटोप्रति
13. बयान श्री शंकरलाल पिता नारू गाडरी नि0 बानसेन तहसील भदेसर
14. बयान नेहरू पिता चुना नि0 बानसेन
15. बयान भेरू लाल पिता उंकार गायरी बानसेन

लायक विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि भुवाना जी के दो पुत्र थे कालु ओर रामचंद्र जो अनपढ थे भुवाना जी की सम्पति में से दोनो का 1/2 हिस्सा था किन्तु भुवाना के मरने के बाद उनकी सम्पति आराजी में वादी के खातेदारी में आ0 न0 181,183,189,517/1, 519,520,522 कुल रकबा 15 बीघा 9 बीस्वा दर्ज हुई जो जमावंदी सवंत 2057 से 2060 से प्रमाणित है। तथा प्रतिवादीगण के नाम आ0न0 378,451,453,454,455,456,457/1, 473,474,521, 1041/2, दर्ज हुई इसके अतिरिक्त सयुक्त परिवार की आय से आ0न0 459/1, 460/1, 462/2, 1047/1, 1051/1, रामचंद्र के वारिसान के द्वारा सयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई। इस प्रकार उनके 30 बीघा के आसरे जमीन खातेदारी में दर्ज हुई जबकि वादी के 15 बीघा ही दर्ज हुई। वर्ष 1952 में जो बंटवाडा हुआ उस समय वादी बालिक नहीं था वो बटवाडा गलत हुआ जिसमें वादी के 15 बीघा और प्रतिवादी के 30 बीघा जमीन रखी गयी सरवाइवर सीप से वादी का 1/2 हिस्सा अनुसार जमीन आनी चाहिए जो आराजीयात क्रय की गई वह जमीन पहले बिलानाम थी जिसको अलोट कराने के लिए 1943 में आवेदन हरिराम ने किया । इस प्रकार वादी के हिस्से में वाद वर्णित आराजीयाात का 1/2 हिस्सा दर्ज कराया जाने हेतु डिकी पारित फरमाई जाये।

लायक अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन में कथन किया कि:–

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:51:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

1. कि वादी द्वारा जिन आराजीयात को लेकर दावा प्रस्तुत किया है उन आराजीयात का तत्कालीन खातेदारों के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने से पहले ही सन् 1952 में बंटवाडा हो चुका था जिसका राजस्व रिकार्ड विधिवत तौर पर जरिये नामान्तरण सं. 692 एवं नामान्तकरण दिनांक 29.07.1952 से राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खाते दर्ज हुए उस समय जो बंटवाडा हुआ उसी मौके पर आज भी काबिज है बंटवाडा होने के पश्चात वादी के पिता कालु जी के साथ वादी ने खेती की कालु मरा उस समय वादी की उम्र 30–35 साल थी वादी का कथन पूर्णतः असत्य है कि वादी नाबालिक था यदि वादी को आपत्ति थी तो तत्कालिन नामान्तरण की अपील आज दिन तक क्यो पेश नहीं की गई सन 1952 में बंटवाडा हो चुका था तो सन् 1952 से वाद प्रस्तुतिकरण वर्ष 2009 तक आप कहा थे अर्थात आप उस बंटवाडे से सहमत थे केवल मात्र काल्पनिक तथ्यों को आधार बनाकर दावा पेश किया है जो निराधार होने से खारिज योग्य है दावा काफि लम्बी अवधि पश्चात् 62 वर्ष वाद पेश किया गया है जो मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है वादी अपने जवाब दावे में स्वीकार करते है रामचंद्र ने जमीन क्रय की ओर रामचंद्र के वारिसान से हमारे द्वारा प्रदर्श ए–1 लगायत प्रदर्श ए–11 से साबित कराया है कि प्रतिवादीगण के नाम पर जो जमीने आयी विधिक प्रकिया से आयी है । अतः वादी का वाद खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जाये ।

न्यायालय का तनकी वार निष्कर्ष इस प्रकार है:–

तनकी नं. 1. – आया वादी यह घोषित कराने का अधिकार है कि वाद–पत्र कि मद सं. 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा और वादी बराबर 1/2 हिस्सा स्वयं कि खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर है । प्रदर्श–3 अनुसार जो आराजीयात रामा व कालू पिता भुवाना के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी उसका प्रदर्श ए–3 अनुसार वर्ष 1952 में सहमति से विभाजन होकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । वादी द्वारा जो अभिवचन दावें में कर रहें है कि विवादित आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा है जबकि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रदर्श 10–ए अनुसार रामचन्द्र पिता भुवाना गाडरी ने आराजी संख्या–1047/1 रकबा–01 बीघा 14 बिस्वा, आ.नं.–462/1 रकबा–13

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–

Scanned by TapScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:01:47 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा, आ.नं.–460/1 रकबा–07 बिस्वा, आ.नं.–459/1 रकबा–03 बीघा 16 बिस्वा, आ.नं. –1051/1 रकबा–01 बीघा 04 बिस्वा कुल किता–05 कुल रकबा–07 बीघा 14 बिस्वा आराजी ठिकाना कुराबड़ से सन्–1943 सवत्–2003 मिसल नं.–24/3 को 101/– रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से क्रय की गई है जिसे भी सम्मिलित करते हुए वादी द्वारा इन आराजीयात में से 1/2 हक हिस्सें की मांग करते हुए सम्मिलित कर लिया गया है । कालू के फोत हो जाने के बाद विरासतन ना0क0 वादी पेमा के पक्ष में खोला जा चुका है जो प्रदर्श–4ए है । इन्टरेस्ट विटनेस सभी एक ही परिवार के है । हस्तगत प्रकरण में जो विभाजन हुआ वह राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व ही हुआ है तथा उसी अनुसार तत्कालीन खातेदारान की सहमति से कराये गये विभाजन अनुसार उनकी खातेदारी में अलग अलग आराजी दर्ज हुई है तथा उसी अनुसार काबिज भी है । वादी अब यह काल्पनिक प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहें है उनका सभी आराजी में 1/2 हिस्सा है जबकि रामचन्द्र और कालू के मध्य विभाजन होकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज है जिसका विधिवत ना0क0 खोला जाकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज की गई है तत्पश्चात् वादी अपने पिता के साथ उक्त आराजीयात पर 32 वर्षो तक काबिज होकर खेती करते चले आये उन्होंने न तो कभी विभाजन को चुनौती दी न ही वादी ने इसके बाद कभी भी ना0क0 की अपील पेश की गई है । वादी स्वंय अपनी जिरह में स्वीकार करते है कि 60–65 वर्ष पूर्व हुए बंटवारे के मुताबिक काबिज काश्त है कालू के हिस्से में जो जमीन आयी वो पिवल हे बाहमी तौर पर किये गये विभाजन को स्वीकार करते है । प्रतिवादी संख्या 5 अशोक ने प्रतिवादी संख्या 4 नारू से 2/76 हक हिस्सा भूमि क्रय की गई । उक्त पंजिकृत दस्तावेज भी खारीज नहीं कराया गया । केवल मात्र यह कहकर आने से कि विभाजन गलत हुआ है । जबकि वास्तविकता में आलौच्य आराजीयात का विभाजन वादी के जन्म से पूर्व ही हो चुका था भूतलक्षी आदेश को इस वाद के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है । निष्कर्श रूप में सभी तथ्य वादी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं गवाहों से प्रमाणित है है पांति बंटवारें की कोई अपील वादी द्वारा नहीं की गई है । पंजिकृत रजिस्ट्री एवं विभाजन जो कि लोक दस्तावेज होकर उन्हें संदेह की दृष्टि देखा जाना या नहीं माने जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है । वादी यह तनकी साबिक

उपखण्ड अधि
भदेसर, जिला

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

कराने में पूर्णतयाः असफल रहें है अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्व वादी किया जाता है ।

तनकी नं. 2. – आया वाद पत्र कि चरण सं. 1 में वर्णित आराजीयात का बटवाडा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा अलग कराया करवाया जावे खातेदारी में दर्ज कब्जा लगान कि फाटनी कि जावे। इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर है । चूंकि यह तनकी ,तनकी नम्बर 1 पर आधारित है । विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि संयुक्त खातेदारी में दर्ज भूमि का ही विभाजन कराया जा सकता है । गवाह पी.डब्लू 2 राजूदास जो कि पेमा की जमीनों के पातिदार है वह भी अपने बयानों की जिरह में स्वीकार करते है कि पेमा और कालू का अलग अलग अपनी अपनी जमीनों पर कब्जा है । उसने वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता पिता को नहीं देखा न ही उनके मध्य पूर्व में हुए विभाजन में शामिल हुआ है दोनों के खाते अलग अलग है । कय आराजी दोनों आराजीयात दोनों आराजीयात को मिलाकर 1/2 हिस्सा भूमि अनुसार बंटवारा की मांग की गई है । जबकि जो आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज हो उसी का नियमानुकूल हक हिस्से की सीमा तक ही विभाजन संभव है हस्तगत वाद में वादी का हक हिस्सा अलग है प्रतिवादी का अलग है। पूर्व में विभाजन हो जाने से यह तनकी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है ।

तनकी नं. 3. – आया प्रातिवादीगण वादी के हिस्से में किसी भी प्रकार का दखल नहीं कर शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज रहकर काश्त करवा दे इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित वादी करवाने का अधिकारी है । इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर है । विवादित आराजीयात पूर्व से ही किये गये विभाजन अनुसार अलग अलग खातेदारी में दर्ज है वादी द्वारा उन आराजीयात पर मालिकाना हक साबित नहीं कराया गया है । सुविधा संतुलन एंव अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी वादी के पक्ष में नहीं है । तनकी नम्बर 1 व 2 विरूद्व वादी निर्णीत होने से यह तनकी भी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है ।

तनकी नं. 4. – आया वादी का मियाद बाहर है। इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या . 1, 3 व 4 पर है । प्रतिवादी गण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी मौजा बानसेन खाता संख्या 40 आंशिक संवत् 2057–2060 प्रदर्श–ए1, नकल जमाबन्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला

Scanned by TapScanner

मौजा बानसेन खाता संख्या 40 संवत् 2057–2060 प्रदर्श–ए2 ,नकल नामान्तरकरण ग्राम बानसेन दिनांक 25.07.1952 प्रदर्श–ए3, नकल नामान्तरकरण ग्राम बानसेन ना0क0 संया 692 प्रदर्श–ए4, नकल जमाबंदी मौजा बानसेन खाता सं. 94 सवंत 2013 से 2016 प्रदर्श–ए5 नकल खसरा गिरदावरी ग्रान बानसेन सवंत 2065– 2067 प्रदर्श ए–6, नकल जमाबन्दी मौजा बानसेन खाता संख्या 100 संवत् 2013–2016 प्रदर्श–ए7, नकल खसरा गिरदावरी ग्रान बानसेन सवंत 2065 प्रदर्श ए–8, नकल खसरा गिरदावरी ग्रान बानसेन सवंत 2065 प्रदर्श ए–9, ठिकाना कुराबड में पंजीकृत कराये गये दस्तावेज मुल प्रदर्श ए–10, ठिकाना कुराबड में पंजीकृत कराये गये दस्तावेज मुल प्रदर्श ए–11, वही में लिखा पढी की फोटोप्रति , बयान श्री शंकरलाल पिता नारू गाडरी नि0 बानसेन तहसील भदेसर ,बयान नेहरू पिता चुना नि0 बानसेन ,बयान भेरू लाल पिता उंकार गायरी बानसेन सभी दस्तावेजों से स्वतः प्रमाणित है कि सहमति से हुए विभाजन का नामान्तरकरण सन् 1952 में खुला उसकी निर्धारित समय में अपील प्रस्तुत नहीं की है दावा 25–30 साल प्रस्तुत किया गया है , रजिस्ट्री एवं विभाजन सरकारी रिकार्ड है जिनकों कभी भी देखा जा सकता था किन्तु वादी द्वारा उन्हें दरकिनार किया गया उसके पश्चात् नारू द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि में से कुछ भाग प्रतिवादी संख्या 5 अशोक को विक्रय कर दिया गया है । फर्दन–फर्दन हुए हस्तान्तरण के माध्यम से क्रेताओं के नाम भी राजस्व रेकार्ड में आ चुके है जिससे राजस्व रेकार्ड की वर्तमान् स्थिति उत्पन्न हो चुकी है । इसके बाद तहसील क्षेत्र में भू प्रबन्ध होने से प्रश्नगत आराजीयात के नवीन नम्बरान कायम किये जा चुके है जिनका वाद में संशोधन कराये जाने हेतु वादी द्वारा कभी प्रयास नहीं किया गया कि राजस्व रेकार्ड की वर्तमान् स्थिति क्या है वादी स्वच्छ हस्तों से नहीं आये है सीधे ही घोषणा व बंटवारे का वाद लेकर आये है जिसका कोई युक्ति युक्त आधार प्रतित नहीं है प्रस्तुत दस्तावेजों का खण्डन करने में वादी असफल रहें है । वादी पेमा अपने पिता कालू के साथ 32 वर्षो तक पूर्व में कराये गये बंटवारे की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहें तब तक उनके द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में विभाजन को लेकर कोई उजर नहीं किया गया न ही आपत्ति उठाई गई कि जो विभाजन हुआ है उसके मुताबिक जमीने वादी के कम और प्रतिवादी के अधिक है । कालू के मरने के पश्चात् भी 25 वर्ष बाद वाद प्रस्तुत किया

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

गया जो काफि विलम्ब से होकर वादकारण दिनांक 10.01.2009 से उत्पन्न होना वाद में अंकित किया गया है जो काल्पनिक तथ्य प्रतीत होता है । अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा एवं विभाजन का मियाद बाहर है प्रतिवादीगण ने इस तनकी को बखूबी साबित कराया गया है कि अतः तनकी प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 के पक्ष में निर्णीत की जाती है ।

तनकी नं. 5. – आया विवाद आराजीयात का पूर्व में बंटवाडा होने से वाद चलने योग्य नही होकर क्षैत्राधिकार से बाहर है। इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 पर है । चूंकि यह तनकी नम्बर 1 , 2, 3, 4 पर आधारित होकर विस्तृत विवेचन पूर्व तनकी में किया जा चुका है । साराशतः विवादित आराजियात का पूर्व में विभाजन होकर पक्षकारान खातेदारी में दर्ज है जिसका पुनः नवीन सिरे से विभाजन की आवश्यकता नहीं है । अतः तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है ।

:: आदेश ::

तनकी नम्बर 01 , 02, 03, विरूद्व वादी निर्णीत हुई है । तनकी नम्बर 04, व 05 प्रतिवादी 1, 3, 4 के पक्ष में निर्णीत हुई है । हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत आराजीयात का विभाजन राजस्थान काश्तकारी कानूनी 1955 लागू होने से पूर्व सन् 1952 में तत्कालीन खातेदारान् के मध्य आपसी रजामन्दी से हो चुका था जिसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई तथा पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 30.11.48 द्वारा रामा कय आराजी को पारीवारिक आय से कय मानकर उसे भी पुश्तैनी मानते हुए उसमें से 1/2 हिस्सा चाहा गया है जो वादी द्वारा साबित नहीं कराया गया है । अतः वाद वादी साबित नहीं होने व बेरून मियाद होने से खारीज किया जाता है । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास – सुश्री अंजु शर्मा, आर0ए0एस0,
उनवान

पेमा पिता कालु गाडरी आयु 35 साल निवासी बानसेन तह0 भदेसर

...............वादी

!! बनाम !!

1. फत्ता पिता नाथु गाडरी आयु 35 साल निवासी बानसेन तह0 भदेसर
2. मु. लेहरी पुत्री भेरा पत्नी देवजी आयु 50 साल निवासी रदाई खेडा त. भदेसर
3. बालु पिता रामचन्द्र गाडरी आयु 70 साल निवासी बानसेन तह0 भदेसर
4. नारू पिता रामचन्द्र गाडरी आयु 75 साल निवासी बानसेन तह0 भदेसर मृतक के वजाय
   4/1 चम्पा पिता नारू आयु 45 साल निवासी बानसेन
   4/2 शंकर पिता नारू आयु 30 साल निवासी बानसेन
   4/3 मु. कमली पुत्री नारू पत्नी नारायण आयु 40 साल निवासी बानसेन हा.मु. लुहारीया
   4/4 मु. धापू बेवा नारू आयु 70 साल नि. बानसेन
5. अशोक कुमार पिता बंशीलाल जाति वोहरा आयु 40 वर्ष निवासी बानसेन
6. कैलाश पिता शंकरलाल शर्मा ब्राम्हण आयु 50 साल नि. बानसेन त. भदेसर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा. भदेसर

.... प्रतिवादीगण

दावा घोषणा व बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण सं0 463/2010

वादी की और से वकील श्री अनुराग ओझा एवं प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री सुधीर कुमावत व उमेश आगाल की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 11.02..2021 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर–तनकी नम्बर 01, 02, 03, विरूद्व वादी निर्णीत हुई है । तनकी नम्बर 04, व 05 प्रतिवादी 1, 3, 4 के पक्ष में निर्णीत हुई है. । हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत आराजीयात का विभाजन राजस्थान काश्तकारी कानूनी 1955 लागू होने से पूर्व सन् 1952 में तत्कालीन खातेदारान् के मध्य आपसी रजामन्दी से हो चुका था जिसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई तथा पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 30.11.48 द्वारा रामा कय आराजी को पारीवारिक आय से कय मानकर उसे भी पुश्तैनी मानते हुए उसमें से 1/2 हिस्सा चाहा गया है जो वादी द्वारा साबित नहीं कराया गया है । अतः वाद वादी साबित नहीं होने व बेरून मियाद होने से खारीज किया जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 11.02.2021 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:51:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner